

 <p>आजादी का अमृत महोत्सव</p>	<p>भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर. भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी)</p>
--	--

### नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

**दिनांक 27.02.2024 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।**

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. श्री जगदीश चंदर, सहायक डीजीएफटी, अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली।

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), ii) श्री एच के मीना, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

#### **01. (2024)16.11.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

समिति को सूचित किया गया कि 16.11.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 16.11.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

**2 (2024) ई-299-300 औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (विस्तार) राणपुर, कोटा में 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) इकाई पंजीकृत कार्यालय और कारखाने के पते की स्थापना के लिए मैसर्स गौड मेटल इंडस्ट्रीज का आवेदन।**

**सुरेंद्र मलिक**

समिति को सूचित किया गया कि ई-299-300 औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (एक्सटेंशन) राणपुर कोटा में पंजीकृत और फैक्ट्री पते वाली मैसर्स गौड़ मेटल इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) स्थापित करने के लिए आवेदन किया था: -

क्रमांक	वस्तु विवरण	क्षमता	आईटीसी एचएस कोड
1	एलएमई ग्रेड के अनुसार परिष्कृत सीसा	300 एमटी	78011000
2	एंटीमनी सीसा मिश्र धातु	300 एमटी	78019100
3	सीसा कैल्शियम मिश्र धातु	300 एमटी	78019999

2.2 समिति को यह भी सूचित किया गया कि इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और वीएसईजेड से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं की गई है। इसके अलावा, यह देखा गया कि इकाई का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.11.2023 और बाद के अनुस्मारक ई-मेल दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को भेजा गया था। हालाँकि, अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने प्लांट/मशीनरी/पंजीगत वस्तुओं में 8.60 करोड़ रुपये के निवेश और 53 लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है। पांच वर्षों की अवधि में 224.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात अनुमान और 107.93 करोड़ रुपये का एनएफई है।

2.3 श्रीमती वीनस माहेश्वरी, सीए और कंपनी के मालिक श्री देवेन्द्र कुमार ने बैठक में भाग लिया। श्री कुमार ने समिति को बताया कि वह मध्य पूर्व के देशों से कच्चा माल आयात करेंगे और एशिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करेंगे। उन्होंने समिति को आगे बताया कि उनके पास दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, दुबई आदि में स्थित सीसा विनिर्माण उद्योग में परामर्श सेवाओं का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

2.4 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों से साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन इसे मंजूरी देने का निर्णय लिया। समिति ने साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीमा शुल्क को अनुस्मारक जारी करने और आगे की कार्रवाई के लिए इकाई को इसकी एक प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

**(3) 2024 मैसर्स प्लास्टी वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) इकाई स्थापित करने के लिए पंजीकृत कार्यालय का पता प्लॉट नंबर ए-450, भामाशाह औद्योगिक क्षेत्र माद्री, उदयपुर राजस्थान में है। और फैक्ट्री का पता E-180, F-183, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र माद्री, उदयपुर, राजस्थान -131021 है।**

समिति को सूचित किया गया कि मैसर्स प्लास्टी वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी ने प्लॉट नंबर ए-450, भामाशाह औद्योगिक क्षेत्र माद्री, उदयपुर राजस्थान और फैक्ट्री का पता ई-180, एफ-183, मेवाड़ माद्री, उदयपुर, राजस्थान -131021, औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।

**सुरेंद्र मलिक**

क्रमांक	वस्तु विवरण	क्षमता	आईटीसी एचएस कोड
1	पीपी बुना कपड़ा लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (छत कपड़ा)	2500 मीट्रिक टन	39269080 39269099 39259090
2	एचडीपीई बुना कपड़ा लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (छत का कपड़ा)	2500 मीट्रिक टन	39269080 3929099, 39259090
3	पीपी बुने हुए बैग/बोरे लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड	2500 मीट्रिक टन	39232100
4	एचडीपीई बुने हुए बैग/बोरे लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड	2500 मीट्रिक टन	39232100
5	पुनर्संसाधित कणिकाएँ / कणिकाएँ	2500 मीट्रिक टन	39021090
6	पीपी/एचडीपीई टेप	900 मीट्रिक टन	39202020

3.2 समिति को यह भी सूचित किया गया कि इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और वीएसईजेड से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं की गई है। इसके अलावा, यह देखा गया कि इकाई का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.12.2023 और अनुवर्ती अनुस्मारक ई-मेल दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को भेजा गया था। हालाँकि, यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी ने प्लांट/मशीनरी/पूँजीगत वस्तुओं में 16.90 करोड़ रुपये के निवेश और 80 व्यक्तियों के रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है। पांच वर्षों की अवधि में 139.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात अनुमान और 133.54 करोड़ रुपये का एनएफई है।

3.3 कंपनी के पार्टनर श्री संदीप बापना ने बैठक में भाग लिया। श्री बापना ने समिति को सूचित किया कि उनके पास 2005 में स्थापित एक और 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) इकाई यानी मेसर्स हार्मनी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पहले ही मशीनरी का आयात कर लिया है जिसे अगले दो सप्ताह के भीतर वितरित किया जाएगा और जल्द से जल्द एलओपी जारी करने का आग्रह किया।

3.4 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों से साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन इसे मंजूरी देने का निर्णय लिया। समिति ने साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीमा शुल्क को अनुस्मारक जारी करने और इकाई को आगे की कार्रवाई के लिए इसकी एक प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

**(4) 2024. मेसर्स मेसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड को उपहार बक्सों के हिस्से के आयात/खरीद और निर्यात के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।**

सुरेंद्र मलिक

समिति को बताया गया कि मैसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड राजस्थान में 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) है और कटे और पॉलिश किए गए कीमती/अर्ध-कीमती/सिंथेटिक पत्थरों/हीरे, सोने/चांदी/प्लैटिनम तांबा/कांसा/जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, जिलेट (सादा और पत्थरों और हीरों से जड़ा हुआ) के आभूषणों के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ है। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 28.12.2023 और ईमेल दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से उपहार बॉक्स के हिस्से के रूप में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात/खरीद और निर्यात के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	वस्तु विवरण	क्षमता	आईटीसी एचएस कोड
1.	कपड़ा साज-सज्जा लेख	63024090, 632026090, 3029900, 63041910, 63041930, 63041990, 63049120, 63049190, 63049229, 63049249, 63049260, 63049239, 63049999	20000
2.	रत्न पत्थर लेख और फैशन आभूषण	71161000, 71162000, 71179010	12000
3.	शॉविस, स्कार्फ, मफलर और अन्य	62141010, 62141020, 6214010, 62142029, 62142090, 62143090, 62144090, 62149049, 62149059, 62149069, 62149099, 62179090	15000
4.	प्लास्टिक और सिरेमिक मूर्ति, सजाए गए और अन्य प्रकार के लेख	39262049, 39264039, 39264049, 69131000	10000
5.	कलम और स्टेशनरी	96081099, 96083099, 96086090, 96089990, 96089199	10000
6.	स्नान बम, तेल, आंख और हॉठ मेकअप उत्पाद, इत्र	33041000, 33042000, 33073010, 33073090, 33030090	5000
7.	एल्युमिनियम लेख	76199990	1000
8.	जीवित पौधा और पौधे के भाग (पत्तियाँ शाखाएँ, गुच्छ फूल, कलियाँ आदि)।	06049000, 06042000, 06029090	3000
9.	काम किया हुआ और बिना काम किया हुआ शंख, हाथी दांत, हड्डी, सींग और अन्य जानवरों की नक्काशी की सामग्री और वस्तुएं।	03078300/05080050, 05080090, 96011000, 96019010, 96019030, 96019040, 96019090	5000

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रक्रियाओं की पुस्तिका 2023 का अनुच्छेद 6.32 (बी) (viii), अनुमोदन समिति को निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) की स्थापना और संचालन के लिए सभी अनुमोदन और मंजूरी

सुरेंद्र मलिक

देने का अधिकार देता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपहार के रूप में उपरोक्त वस्तुओं के आयात/खरीद और निर्यात की अनुमति देता है।

4.3 समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अध्याय 96 के तहत माल की निर्यात नीति के सत्यापन के अधीन फाइल पर विकास आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की, जिसे फाइल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

**(5) 2024 अगले पांच साल के लिए एलओपी के नवीनीकरण का आवेदन मेसर्स ऋषभ ग्रीन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड**

बताया गया है कि मेसर्स ऋषभ ग्रीन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर की 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) है, जिसके पास मार्बल स्लैब/टाइल्स और मार्बल ब्लॉक्स के निर्माण और निर्यात के लिए एलओपी नंबर 12222/2000-100%ईओयू- दिनांक 23.03.2000 है।

5.2 रिकॉर्ड के अनुसार, इकाई का डीसीपी 31.03.2000 है और अंतिम ब्लॉक 31.03.2020 तक वैध था। इकाई ने पत्र दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से एलओपी की वैधता के विस्तार के लिए आवेदन किया था जिसे 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया था।

5.3 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2022, 04.09.2020, 17.06.2022, 12.07.2022, 22.10.2022, 12.04.2023 और ई-मेल दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से एलओपी के विस्तार के लिए आवेदन किया है, लेकिन इकाई से कुछ दस्तावेज/जानकारी मांगी गई थी। अब, इकाई ने अपने पत्र दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने आज तक सीमा शुल्क के भुगतान के बिना कभी भी कोई इनपुट आयात नहीं किया है। उनका मुख्य कच्चा माल मार्बल ब्लॉक था जो 30.06.2017 तक उत्पाद शुल्क योग्य नहीं था और उसके बाद मार्बल ब्लॉकों की खरीद पर जीएसटी की कोई छूट नहीं थी। इसी तरह, उन्होंने आज तक अन्य इनपुट पर शुल्क में कोई छूट नहीं ली है। आज तक न तो उन्होंने और न ही उनके आपूर्तिकर्ता ने घरेलू बाजार से खरीदे गए इनपुट की आपूर्ति के लिए माने गए निर्यात के किसी भी लाभ का दावा किया है। एसआईओएन के आधार पर निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) द्वारा इनपुट की खपत के संबंध में शर्त केवल उन इनपुट के लिए लागू होती है जिन पर शुल्क छूट का दावा किया गया है। उनके मामले में उन्होंने न तो इनपुट की खरीद में शुल्क छूट का दावा किया और न ही घरेलू बाजार से खरीदे गए इनपुट की आपूर्ति के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट के किसी लाभ का दावा किया, इसलिए उनके उत्पाद के लिए उपयोग किए गए इनपुट के लिए एसआईओएन निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

5.4 श्री पूनम चंद पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि उन्होंने कोई इनपुट आयात नहीं किया है और उन्होंने केवल अपने निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) से निर्यात किया है। समिति ने कहा कि इकाई ने 2021 में एलओपी की वैधता समाप्त होने के बावजूद निर्यात जारी रखा है।

सुरेंद्र मलिक

5.5 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया कि इकाई ने एलओपी की वैधता में चूक के बावजूद अपने माल का निर्यात कैसे किया। समिति ने इकाई से अब तक के निर्यात और आयात के आंकड़ों, एलओपी वैध नहीं होने पर निर्यात की व्यवस्था और नवीनतम एपीआर भी मंगाने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

**सुरेंद्र मलिक**  
(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

**अ. बिपिन मेनन**  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त